

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1085

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (22 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

कैदियों का फास्ट ट्रेक विचारण

†1085. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जेलों में लगभग 76 प्रतिशत कैदी मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं जो 34 प्रतिशत वैश्विक औसत से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित ऐसे कैदियों की जिला-वार संख्या कितनी है जो विचारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन की अविध के बाद गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हो गए हैं और उससे संचारी रोग फैल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) फास्ट-ट्रेक प्रक्रियाओं के माध्यम से विचारण-पूर्व कैदियों की संख्या कम करने और उन्हें विचारण चरण तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश के कारागारों में 5,54,034 कैदी

बंद थे, जिनमें से 4,27,165 विचारणाधीन कैदी थे। कानून की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही, न्यायालय के आदेश पर विचारणाधीन कैदियों को कारागारों में रखा जाता है।

(ख): 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में 90,606 विचारणाधीन कैदी थे। इनमें से 21,942 विचारणाधीन कैदी अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के, 4,657 अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के और 41,678 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के थे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित विचारणाधीन कैदियों का जिला-वार आंकड़ा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): एनसीआरबी के पास इस संबंध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं। अतः, यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में विचारणाधीन कैदियों के मामलों के शीघ्रता से निपटान (फास्ट-ट्रैकिंग) को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तथा उपाय करें। तथापि, गृह मंत्रालय ने विचारणाधीन कैदियों के मुद्दों का समाधान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर कई एडवाइजरी जारी की हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचारणाधीन कैदी' पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचारणाधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात् कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि का प्रावधान किया गया है। ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर, जो "अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली" के साथ समेकित किया गया एक "कारागार प्रबंधन एप्लीकेशन" है, में राज्य जेल प्राधिकारियों को विचारणाधीन कैदियों के आंकड़े शीघ्र और कारागार तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है, जो उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचारणाधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी), आदि द्वारा विचार किया जाना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देश की जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक चलाते हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। विचारण (ट्रायल) की कार्रवाई निर्बाध तरीके से करने के लिए न्यायालय परिसरों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं।